न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, जौनपुर

वाद संख्या–टी2015143604243। धारा 143 ज0बि0अ0

धर्मा देवी महाविद्यालय ——बनाम ——सरकार

<u>मौजा बेलापार परगना रारी तहसील सदर, जिला जौनपुर।</u>

<u>निर्णय</u>

धर्मा देवी महाविद्यालय बेलापार (हयातगंज) बक्शा जौनपुर द्वारा प्रबन्धक विकास पुत्र रामचन्दर ने आराजी नंम्बर 848/0–458 व 872/0–502 हे0 स्थित ग्राम बेलापार परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर के बावत धारा 143 ज0बि0अ0 के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई का मालिक काबिज दाखील है। आराजी निजाई महाविद्यालय के उपयोग में है तथा विद्यालय भवन के लिए उपयोग हो रहा है उसमें कृषि कार्य नही किया जाता है। आराजी निजाई को अकृषिक प्रयोग में लाये जाने के कारण अकृषिक धोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसीलदार सदर से नियत प्रारूप पर आख्या प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार सदर ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि गाटा संख्या नंम्बर 848/0–458 व 872/0–502 हे0 पर बाउण्ड्रीवाल व विद्यालय भवन बनाकर गैर कृषि प्रयोजन में उपयोग हो रहा है, कृषि कार्य नही होता है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने कारण अकृषिक धोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 27–05–2015 स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश हुआ कि मौजा बेलापार परगना रारी, तहसील सदर, जिला जौनपुर की गाटा संख्या नंम्बर 848/0–458 व 872/0–502 हे0 भूमि का मालगुजारी मुताविक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एंव उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हों।

30-5-15

उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

सत्य प्रति

30/05/15

उप जिलाधिकारी
सदर जौनपुर

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, जौनपुर

वाद संख्या–टी20151436042430 धारा 143 ज0बि0अ0

धर्मा देवी महाविद्यालय ———बनाम ———सरकार

मौजा उटरूकला परगना रारी तहसील सदर, जिला जौनपुर।

निर्णय

धर्मा देवी महाविद्यालय बेलापार द्वारा प्रबन्धक विकास पुत्र रामचन्दर ने आराजी नम्बर 916/2/0–085 हे0 स्थित ग्राम उटरूकला परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर के बावत धारा 143 ज0बि0अ0 के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई का मालिक काबिज दाखील है। आराजी निजाई महाविद्यालय के उपयोग में है उसमें कृषि कार्य नही किया जाता बल्कि विद्यालय भवन हेतु उपयोग हो रहा है। आराजी निजाई को अकृषिक प्रयोग में लाये जाने के कारण अकृषिक धोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसीलदार सदर से नियत प्रारूप पर आख्या प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार सदर ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि गाटा संख्या 916/2/0–085 हे0 का गैर कृषि प्रयोजन में उपयोग हो रहा है, कृषि कार्य नही होता है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने कारण अकृषिक धोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 27–05–2015 स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा उटरूकला परगना रारी, तहसील सदर, जिला जौनपुर की गाटा संख्या 916/2/0–085 हे0 भूमि का मालगुजारी मुताविक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना धोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एंव उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हों।

30/05/2015

उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

30/05/15